बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 25/07/2017

संख्या–3(स0)उ0स्था0(आरोप)14 / 14–3156 / श्री गुलाम सरवर, सेवानिवृत्त परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज के विरूद्ध सेवाकाल में विभागीय स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना, बी0एस0एफ0 गेट पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के बावजूद कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने, जाँच के क्रम में उपस्थित होकर सहयोग नहीं करने तथा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर माँगा गया लिखित अभिकथन समर्पित नहीं करने के आरोप में आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–3231 दिनांक 14–07–2016 तथा सेवानिवृति के उपरांत संकल्प संख्या–4389 दिनांक 19–09–2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री रंजीत कुमार, बि0प्र0से0, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं श्री नागेन्द्र कुमार शर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत पक्षों की समीक्षा के उपरांत श्री गुलाम सरवर के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। जाँच प्राधिकार(संचालन पदाधिकारी) द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर श्री सरवर से लिखित अभिकथन माँगा गया। श्री सरवर द्वारा अपने लिखित अभिकथन में विभागीय कार्यवाही के दौरान दिनांक 16–09–2016 को समर्पित प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 16–09–2016 को समर्पित प्रतिवेदन में श्री सरवर द्वारा यह उल्लेख किया गया कि स्थानान्तरण संबंधी अधिसूचना संख्या–2629 दिनांक 30–06–2015 उन्हें दिनांक 16–06–2016 के पूर्व अप्राप्त था। इस पर जाँच के दौरान यह पाया गया कि अधिसूचना संख्या–2629 दिनांक 30–06–2015 को निरस्त करने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–11243 / 16 गुलाम सरवर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दिनांक 25–07–2016 को खारिज कर दिया गया। आरोप संख्या–02 पर श्री सरवर का यह कहना था कि अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज के पत्र ज्ञापांक–412 दिनांक 24–05–2015 उनके कार्यालय को दिनांक 26–05–2015 को प्राप्त करवाया गया। जिसमें दिनांक 25–05–15 से 30–07–15 तक खगड़ा स्टेडियम, किशनगंज में सिपाही पद पर बहाली हेतु प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। श्री सरवर के अनुसार दिनांक 26–05–15 को ही स्वास्थ्य कारणों से प्रतिनियुक्ति कार्य से विमुक्त करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को निवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में पत्र प्राप्त कराया गया था, इस कारण वह कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। सिपाही भर्त्ती के अभ्यर्थी श्याम नारायण उर्फ सीकु कुमार भारद्वाज की पुलिस द्वारा कथित मारपीट, ईलाज में लापरवाही आदि के विन्दु पर प्रधान सचिव, गृह विभाग के आदेशानुसार गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जाँचोपरांत अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि बी0एस0एफ0 गेट पर श्री गुलाम सरवर, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था किन्तु श्री गुलाम सरवर विधि व्यवस्था संबंधी कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे। श्री सरवर जाँच समिति के समक्ष भी उपस्थित नही हुए और जाँच में सहयोग नहीं किये। उच्च स्तरीय जाँच समिति द्वारा श्री गुलाम सरवर के द्वारा कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता के आलोक में श्री सरवर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी के मंतव्य एवं प्रधान सचिव, गृह विभाग के आदेशानुसार गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि श्री गुलाम सरवर (सेवानिवृत्त), तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज की कर्त्तव्य अवधि में सेवा संतोषप्रद नही रही है। श्री सरवर द्वारा कर्त्तव्यपालन में लापरवाही बरती गयी तथा अनुशासनहीनता प्रदर्शित की गई। अतएव बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) एवं 139(ख) में दिये गये प्रावधान के आलोक में पेंशन की रकम में प्रतिमाह पच्चीस प्रतिशत की दर से कटौती तीन वर्ष तक किये जाने का निर्णय लिया गया। अंतिम आदेश निर्गत करने के पूर्व इस बिन्दु पर विभागीय पत्रांक–1376 दिनांक 30–03–2017 द्वारा श्री गुलाम सरवर को पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर अपना पक्ष समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री गुलाम सरवर ने पत्रांक–15 दिनांक 26–04–2017 द्वारा अपना पक्ष विभाग को समर्पित किया गया जिसमें समीक्षोपरान्त कोई नया तथ्य नहीं पाया गया।

कृ०पृ०उ०

विभागीय पत्रांक–1375 दिनांक 30–03–2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री सरवर के विरूद्ध उक्त शास्ति अधिरोपित करने संबंधी निर्णय पर आयोग का परामर्श माँगा गया। आयोग के पत्रांक–692 दिनांक 28–06–2017 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः उपरोक्त आलोक में विभागीय कार्यवाही में जाँच प्राधिकार के मंतव्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार के आदेशानुसार गठित उच्चस्तरीय जाँच समिति द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन तथा श्री गुलाम सरवर के लिखित अभिकथन की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि श्री गुलाम सरवर, सेवानिवृत्त परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज की सेवाकाल में सेवा संतोषप्रद नहीं है।

अतएव बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) एवं 139(ख) के तहत **श्री गुलाम सरवर, सेवानिवृत्त परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज का पूर्ण पेंशन की राशि में से तीन वर्षों तक प्रतिमाह पच्चीस प्रतिशत की दर से कटौती किये जाने का निर्णय लिया जाता है।**

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना को उनके पत्रांक–6481 दिनांक 06–07–2016 के प्रसंग में/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–

3(स0)उ0स्था0(आरोप)14/14

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, किशनगंज/मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज/परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज/श्री गुलाम सरवर, सेवानिवृत्त परियोजना पदाधिकारी, (मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज)पता–दावत मंजिल, मोहल्ला–धीरन पट्टी(बढ़ई टोला गली), पो0–आर0के0 आश्रम, बेला, जिला–मुजफ्फरपुर(बिहार), पिन–842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 3156　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः– 25/07/2017

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

23/7/2017

सरकार के उप सचिव

25/7/17

राकेश/21–07–17

C:\Users\tyyy6y\Documents\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc